भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 851

दिनांक 26 जुलाई, 2024 को उत्तर के लिए

महिलाओं पर बेरोजगारी का प्रभाव

851. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान महिलाओं पर बेरोजगारी के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बेरोजगारी और उच्च मुद्रास्फीति के कारण महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; ओर

(ग) क्या मंत्रालय के पास बेरोजगारी के कारण महिलाओं में बढ़ती मानसिक बीमारी और अवसाद से निपटने के लिए कोई विशेष योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 6.0% से घटकर 2021-22 में 4.1% हो गई है।

पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर), दर्शाता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 46.8%, 47.3%, 50.9%, 52.6% और 52.9% था, जो एक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 में 50.7% से बढ़कर 2022-23 में 60.8% हो गई जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह 47.6% से बढ़कर 50.4% हो गई। भारत में पुरुषों के लिए एलएफपीआर 2017-18 में 75.8% से बढ़कर 2022-23 में 78.5% हो गया और महिलाओं के लिए एलएफपीआर में यही वृद्धि 23.3% से बढ़कर 37.0% हो गई।

कोविड़ 19 महामारी के दौरान नए रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने और रोजगार के हुए नुकसान की बहाली लिए 01 अक्टूबर, 2020 से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) शुरू की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना की शुरूआत से 28 फरवरी, 2023 तक योजना के तहत 60.31 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

केंद्र सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) है जिसके तहत लगभग 10 करोड़ सदस्यों वाले लगभग 90 लाख महिला स्वयं सहायता समूह रोजगार/स्वरोजगार के लिए ग्रामीण परिदृश्य को बदल रहे हैं। इसी प्रकार, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) शहरी क्षेत्रों के लिए है। इसके अलावा, रोजगार/स्वरोजगार और ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) जैसी योजनाएं हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों में अधिकांश

महिलाएं हैं। केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत महिलाओं को कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करती है। इसी प्रकार, सरकार ग्रामीण आबादी को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीडीआईएसएचए) का कार्यान्वयन करती है। इन दो योजनाओं ने महिलाओं और बालिकाओं को रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने में भी मदद की है।

(ख) और (ग) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वन स्टॉप सेंटर का घटक कार्यान्वित है, जिसके तहत जरूरतमंद और व्यथित महिलाओं को एक छत के नीचे चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक परामर्श, पुलिस सुविधा, कानूनी सहायता और परामर्श आदि जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान की जाती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हिंसा का सामना कर रही महिलाओं और विपदा में फंसी महिलाओं की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस) के माध्यम से मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं से निपटने के लिए देश भर में वन स्टॉप केन्द्रों (ओएससी) के स्टाफ को स्त्री मनोरक्षा नामक परियोजना के अंतर्गत बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण भी प्रदान किया है।

*****